(18) (17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः--श्री के0सी0 जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1655--एक/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29--08--2005 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 146/1999--2000/निगरानी

.....

राजीव कुमार पुत्र राधेश्याम
निवासी--कोलारस, जिला--शिवपुरी, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1-- रघुवीर प्रसाद पुत्र नारायण भार्गव
2-- मु0 गौराबाई बेवा नारायण प्रसाद भार्गव
निवासीगण--कोलारस, जिला--शिवपुरी, म0प्र0
3-- रामेश्वर पुत्र नारायण प्रसाद
4-- बालकृष्ण पुत्र कन्हैयालाल
5-- श्रीमती बंदना पत्नी हरीश
6-- शारदा बाई पत्नी कृष्ण बल्लभ वैश्य
समस्त निवासी-- निवासी--कोलारस,
जिला--शिवपुरी, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

.....

आदेश

(आज दिनांक 14/7/2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 146/1999--2000/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29--08--2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू--राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम मानीपुरा स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 194/1 रकबा 0.105 है0 पर नामांतरण किये जाने हेतु तहसील न्यायालय में अनावेदक क्र0 3 रामेश्वर भार्गव द्वारा आवेदन–पत्र पेश किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा विक्रयपत्र के आधार पर अपने प्र0क्र0 10/97–98/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 12.03.99 को रामेश्वर भार्गव के हक में नामांतरण का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 रघुवीर प्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । प्रकरण पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 28.06.2000 को अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.06.2000 के विरूद्ध आवेदक राजीव कुमार द्वारा निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में पेश की गई । प्रकरण क्रमांक 146/1999–2000/निगरानी में दर्ज किया गया तथा आदेश दिनांक 29.08.2005 को निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया है कि अधीनस्थ प्रथम न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है। ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रथम अपील के प्रचलन में वेदेही चरण जो प्रथम अपील में प्रत्यर्थी क्र0 4 था, उसकी मृत्यु हो गई थी । वेदेहीचरण के विधिक वारिसों को अभिलेख पर न लाने के कारण अनावेदक क्र0 1 की अपील स्वीकृत हो गई । अनावेदक क्र0 4 जो कि लगभग एक वर्ष पूर्व मृत हो गये थे, उनके विरूद्ध भी आदेश पारित किया है जो न्याय सुस्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध है । किसी भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता । उन्होंने तर्क में यह भी बताया है कि विचारण न्यायायल में अनावेदक क्र0 1 व 2 ने जब नामांतरण के सम्बन्ध में आपत्ति की थी और आपत्ति निरस्त की गई तब ऐसी स्थिति में यह कहा नहीं जा सकता कि विचारण न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । यदि अनावेदकगणों के बिक्री पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तब ऐसी स्थिति में उन्हें व्यवहार न्यायालय से बिक्री पत्र निरस्त कराना चाहिये, क्योंकि स्वतव सम्बन्धी प्रश्न का निराकरण व्यवाहर न्यायानलयों द्वारा किया जा सकता है न कि राजस्व

न्यायालय से । इस वैधानिक प्रश्न का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा न कर वैधानिक त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश खारिज किये जाने योग्य है । अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे ।

3/ अनावेदक क्र0 1 के अधिवक्ता श्री कुवंर सिंह कुशवाह द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया गया है । अभिलेख से प्रकट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत सभी अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया गया जो विधिवत तामील हुये है। उनमें वैदेहीचरण को भी सूचना पत्र तामील हुआ है और सूचना उपरांत उसकी अनुपस्थिति से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही भी की गई है । चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य किसी भी पक्ष के द्वारा नहीं लाया गया कि वैदेहीचरण की मृत्यु हो चुकी है । इसलिये बगैर न्यायालय को किसी जानकारी के वैदेहीचरण के वारिसों को अभिलेख पर लाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और न ही इसमें अधीनस्थ न्यायालयों की ही कोई त्रुटि परिलक्षित होती है । प्रकरण में और भी अन्य व्यक्ति अनावेदक के रूप में संयोजित थे । ऐसी स्थिति में में मात्र एक व्यक्ति के मृत होने से प्रकरण अवेट किया जाकर अन्य पक्षकारो को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है ।

5/ प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया गया है, इसी कारणवश तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित करके कोई त्रुटि नहीं की है । इससे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त हो सकता है । मेरे विचार से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित है । अपर आयुक्त, ग्वालियर ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है । मैं अपर आयुक्त के आदेश से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.99 त्रुटिपूर्ण है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2000 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 29.08.2005 विधिसंगत होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर